रेरा की सख्ती के बाद छह प्रोमोटरों ने पीड़ित खरीदारों के 53 लाख रुपये लौटाये

संवाददाता, पटना

बिहार रेरा (रियल इस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी) की सख्ती के बाद प्राधिकरण में दायर सात एग्क्यूशन मामलों में छह प्रोमोटरों ने पीड़ित घर खरीदारों के 53 लाख रुपये लौटाये हैं. इसके साथ ही रेरा अध्यक्ष की एकलपीठ ने एक अन्य प्रोमोटर घर लक्ष्मी बिल्डकॉन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए निबंधन विभाग के आइजी को प्रोमोटर के प्रोजेक्ट इनकम टैक्स रेजिडेंसी के फ्लैटों के रजिस्ट्रेशन पर अगले आदेश तक रोक लगाने का निर्देश दिया है. इस मामले में शिकायतकर्ता माधुरी तिवारी ने केस दर्ज कराया था. मिली जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता मोहम्मद सगीर आलम ने अरोमा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ ब्याज सहित 35 लाख रुपये की वापसी के लिए रेरा बिहार में मामला दायर किया था. अदालत को बताया गया कि 20 लाख रुपये वापस कर दिये गये हैं और शेष राशि मार्च 2025 से तीन लाख रुपये प्रतिमाह की किस्तों में वापस की जायेगी.

16 लाख में से 11 लाख रुपये वापस किये

दूसरे मामले में प्रोमोटर जैस्कॉन एंटरबिल्ड ने 16 .06 लाख रुपये में से 11 लाख रुपये वापस कर दिये . इसी तरह प्रोमोटर काजरी इंफ्राटेक को निर्देश दिया गया था कि वह शिकायतकर्ता शोभा सिंह को ब्याज सहित 15 .06 लाख की मूल राशि वापस करे . अब तक नौ लाख रुपये वापस किये जा चुके हैं . अदालत ने प्रोमोटर को निर्देश दिया कि वह मार्च 2025 तक शिकायतकर्ता को शेष मूल राशि वापस करे . एक अन्य मामले में अदालत के निर्देश के बाद भी शिकायतकर्ता बृज किशोर सिंह को तीन लाख रुपये वापस न करने पर प्रोमोटर गृहवाटिका होम्स पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया .

प्रोमोटर को कारण बताओ नोटिस देने का निर्देश

अदालत ने प्रोमोटर को कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया कि प्रोमोटर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश क्यों न दिया जाये . केस नंबर 82/2024 में शिकायतकर्ता कमल मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रोमोटर ने 15 लाख रुपये की कुल मूल राशि में से तीन लाख रुपये वापस कर दिए हैं . अदालत ने प्रोमोटर को शेष 12 लाख रुपये वापस करने का निर्देश दिया . ऐसा न करने पर प्रोमोटर पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा . प्रोमोटर पलवीराज कंस्ट्रक्शन ने उसी बेंच द्वारा सुने जा रहे एक अन्य एक्सक्यूशन मामले में शिकायतकर्ता आरती चौधरी को 5 .50 लाख रुपये वापस कर दिये . प्रोमोटर ने शिकायतकर्ता से छह लाख रुपये लिये थे, जिसमें से 50 हजार रुपये पहले ही वापस कर दिये गये थे .